न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 46/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री शिवचरण सौखिया पुत्र श्री राधेश्याम सौखिया विक्रेता एवं मालिक मैसर्स पंकज मेडिकल एजेन्सीज, पूनम टॉकिज के सामने, लालसोट रोड दौसा।
2. श्रीमति दिया रामचन्दानी, निवासी 3, सत्या वाटिका कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर मैसर्स माया मेडिकोज, 104, 106 फर्स्ट फ्लॉर, आरसी टॉवर, लूहारो की गली, चौडा रास्ता, जयपुर 302003 विक्रेता
3. श्री हिमांशु एम जोटा, मैसर्स **ZOTA HEALTH CARE LTD. 25/1 Paiki Plot No. D/1, D/2 2nd & 3rd Floor, Zota House, Bhagvan Aiyappa Comp. Pandesara Bhedwad, Surat Gujrat** भागीदार विक्रेता।
4. **Alpa M. Shah W/o Makrand G. Shah, C/3 Vihardham, Near Lovkush tower, Drive in road, Thaltej, Ahmadabad-54. M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** भागीदार निर्माता।
5. **Makrand G. Shah S/o Shri Gopaldas R. Shah, c/3 Vihardham Near Lovkush tower, Drive in road, Thaltej, Ahmadabad-54. M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bhavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** भागीदार निर्माता।
6. **M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bhavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** निर्माता फर्म।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 15.11.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 46 / 2017 एफ एस एस एक्ट

यह है कि दिनांक 16.9.2016 को दोपहर बाद 03:30 बजे मैसर्स– पंकज मेडिकल एजेन्सीज, पूनम टॉकिज के सामने, लालसोट रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री शिवचरण सौखिया पुत्र श्री राधेश्याम सौखिया उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना न जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक लकडी की रैक में 200 एमएल पैकिंग में पैक **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** की 25 बोतल आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 8 मूल पैक बोतल **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** 200 एमएल की खरीदी। जिनकी कीमत 794 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** 8 बोतलों में से दो–दो बोतलो को एक जगह बांधकर चार पैकिट तैयार किये। लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1487 उपर से नीचे पूरे राउण्ड में गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) श्री शिवचरण सौखिया पुत्र श्री राधेश्याम सौखिया के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.9.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.9.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.9.2016 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2785/एक्ट/2016/457 दिनांक 14.10.2016 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार जो कमी पायी गई है उसको दुरूस्त किया जाकर **Ingredients & Nutritional Information** खाद्य पदार्थ **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** के लेबल पर प्रिन्ट करवा दी गई है। अतः कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2785/एक्ट/2016/457 दिनांक 14.10.2016के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Nutritional Dietary Supplement RTFIT(ZOTA)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 शिवचरण सौखिया पुत्र श्री राधेश्याम सौखिया विक्रेता एवं मालिक मैसर्स पंकज मेडिकल एजेन्सीज, पूनम टॉकिज के सामने, लालसोट रोड दौसा पर 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 2 श्रीमति दिया रामचन्दानी, निवासी 3, सत्या वाटिका कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर मैसर्स माया मेडिकोज, 104, 106 फर्स्ट फ्लॉर, आरसी टॉवर, लूहारो की गली, चौडा रास्ता, जयपुर 302003 विक्रेता पर 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 3 श्री हिमांशु एम जोटा, मैसर्स **ZOTA HEALTH CARE LTD. 25/1 Paiki Plot No. D/1, D/2 2nd & 3rd Floor, Zota House, Bhagvan Aiyappa Comp. Pandesara Bhedwad, Surat Gujrat** भागीदार विक्रेता पर 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं0 4 लगायत 6 **M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bhavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** निर्माता फर्म पर 11000/- (अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 15.11.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/7051-58 दिनांकः– 15.11.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री शिवचरण सौखिया पुत्र श्री राधेश्याम सौखिया विक्रेता एवं मालिक मैसर्स पंकज मेडिकल एजेन्सीज, पूनम टॉकिज के सामने, लालसोट रोड दौसा।
4. श्रीमति दिया रामचन्दानी, निवासी 3, सत्या वाटिका कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर मैसर्स माया मेडिकोज, 104, 106 फर्स्ट फ्लॉर, आरसी टॉवर, लूहारो की गली, चौडा रास्ता, जयपुर 302003 विक्रेता
5. श्री हिमांशु एम जोटा, मैसर्स **ZOTA HEALTH CARE LTD. 25/1 Paiki Plot No. D/1, D/2 2nd & 3rd Floor, Zota House, Bhagvan Aiyappa Comp. Pandesara Bhedwad, Surat Gujrat** भागीदार विक्रेता।
6. **Alpa M. Shah W/o Makrand G. Shah, C/3 Vihardham, Near Lovkush tower, Drive in road, Thaltej, Ahmadabad-54. M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bhavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** भागीदार निर्माता।
7. **Makrand G. Shah S/o Shri Gopaldas R. Shah, c/3 Vihardham Near Lovkush tower, Drive in road, Thaltej, Ahmadabad-54. M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bhavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** भागीदार निर्माता।
8. **M/s Devi health care P.LTD 27, Shyam-3 Industrial Estate, Nr. Canal chanodar sarkhej-bhavla Highway, Tal Sanand Dist. Ahmadabad 382213** निर्माता फर्म।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा